

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक:-3/ कृ० बजट विविध -02/2018

1360

कृ० पटना दिनांक:- 05-04-

2019

प्रेषक,

सुधीर कुमार,

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी सहायक निदेशक, रसायन/सभी सहायक निदेशक भूमि संरक्षण/परियोजना निदेशक, आत्मा।

विषय—

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रैल 2019 में निश्चित रूप से समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

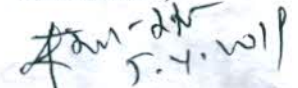
निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेशों द्वारा सहायक अनुदान मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के पश्चात् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व आपका है। इस संबंध में पूर्व में कई बार विभागीय पत्रों के माध्यम से निदेश दिये जा चुके हैं। कई क्षेत्रीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अतिआवश्यक है।

1. उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक अनुदान मद में आवंटित राशि का विहित प्रपत्र BTC Form 42A में तैयार किया जाना है।
2. एक उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक स्वीकृत्यादेश एवं एक विपत्रकोड अंतर्गत आवंटित राशि से संबंधित सूचनाओं का अंकन होना चाहिए।
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंकित राशि से संबंधित CTMIS की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए ताकि Bill No/ TV No की जाँच की जा सके।
5. विहित प्रपत्र में चेक स्लिप तीन प्रति में भरा होना चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर डी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित होना चाहिए।
6. अंकेक्षण प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए। जहाँ अंकेक्षण का मामला लंबित है, उनका तत्काल अंकेक्षण करा लिया जाय।
7. प्रत्यर्पित राशि की स्थिति में अभिप्रमाणित प्रत्यर्पण पत्र संलग्न होना चाहिए। चालान के मामले में या तो चालान की मूल प्रति संलग्न हो या चालान की छायाप्रति पर डी०डी०ओ० एवं कोषागार पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होना चाहिए।
8. निकासी एवं तत्पश्चात् व्यय की गई राशि से संबंधित रोकड़ बही की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form-42A में तैयार कर सभी अनुलग्नकों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए माह अप्रैल-2019 तक उपलब्ध कराया जाय ताकि समायोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,



(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

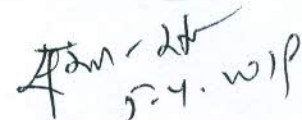
ज्ञापांक - 1360

/क०, पटना, दिनांक - 05-04-2019

प्रतिलिपि :-
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं

2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी योजनाओं के राज्य नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने से संबंधित योजनाओं का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजन कराने की कार्रवाई करेंगे।


5.4.2019

प्रधान सचिव

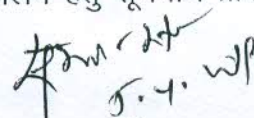
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1360

/क०, पटना, दिनांक 05-04-2019

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के प्रधान आर्षत सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्प) सूचना/आई टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


5.4.2019

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

